उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल

रिट याचिका सं. 141 वर्ष 2009 (पीआईएल)

राकेश कुमार वर्मा, अधिवक्ता .....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य .....प्रतिवादी

श्री अजय वीर पुंडिर, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ।

श्री एच. एम. रतूरी, राज्य के लिए स्थायी अधिवक्ता /प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तक।

तारीखः4 जनवरी, 2011

कोरमः माननीय बारिन घोष, सी.जे.

माननीय वी. के. बिस्ट, जे.

बारिन घोष, सी.जे (मौखिक)

हरिद्वार जिले में स्थित एक गाँव में, एस.एस.पी. हरिद्वार और एस.एच.ओ., पुलिस स्टेशन पथारी, जिला हरिद्वार ने कथित तौर पर बिना किसी उकसावे के ग्रामीणों को अंधाधुंध पिटाई की। वर्तमान रिट याचिका उसी का निवारण करने का प्रयास करती है। इस स्थिति में, किसी भी ग्रामीण को पीटा गया था, देश के कानून द्वारा संरक्षित उसके अधिकारों में हस्तक्षेप किया गया था। इस प्रकार, प्रत्येक ग्रामीण को इसके निवारण के लिए कानून का सहारा लेने का अधिकार हो गया। यह अभिलेख पर नहीं आया है कि ग्रामीणों या उनमें से किसी को भी रिट याचिका में उजागर किए गए मामले से संबंधित उनकी शिकायतों का निवारण करने के लिए किसी ने रोका था। उस दृष्टिकोण से देखने पर, वर्तमान रिट याचिका, उन लोगों की ओर से, एक ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया गया था, विचारणीय नहीं है। हम, तदनुसार, ऐसे सभी ग्रामीणों के अधिकार को संरक्षित करते हुए इस रिट याचिका का निपटारा करते हैं, जिनके कानूनी अधिकारों में कथित रूप से एस.एस.पी. और एस.एच.ओ. द्वारा हस्तक्षेप किया गया था। ऊपर निर्दिष्ट, कानून का ऐसा सहारा लेना, जैसा कि उन्हें सलाह दी जा सकती है।

(वी. के. बिस्ट, जे.) **(बारीन घोष, सी.जे.)**

04.01.2011

एन.सी.एमः